- घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चे।
- पुलिस द्वारा प्रताड़ित बच्चे।
- बल देखभाल संस्थाओं में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार।
- गैर कानूनी रूप से गोद लेना (दत्तक ग्रहण)।
- बाल देख-रेख संस्थाओं द्वारा बच्चों को बेचने का मामला।
- बच्चों के व्यापार से संबधित मामले।
- बच्चों का अपहरण।
- लापता बच्चे।
- इलेक्ट्रोनिक/सोशल/प्रिंट मीडिया में बच्चों के अधिकारों का हनन।
- आस-पास के क्षेत्र में विद्यालय का न होना, विद्यालय में आधारभूत संरचनाओं का अभाव।
- विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक यातनायें।
- विद्यालयों में बच्चों का नामांकन से इंकार।
- शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा पाठ्यक्रम/मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किये जाने सम्बन्धित शिकायतें।
- विद्यालय परिक्षेत्र का दुरूपयोग।
- यौन शोषण क्षतिपूर्ति।
- चिकित्सकीय लापरवाही।
- उपचार में बिलंब।
- कुपोषण से संबंधित।
- मध्यान भोजन से संबंधित।
- नशाखोरी से संबंधित
- लापरवाही के कारण मौत।
- बचपन के विकास संबंधी विकार के लिए पुनर्वास आदि।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सम्पर्क सूत्र

- उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग - 9258127046

बच्चों की सुरक्षा हेतु हैल्पलाईन नम्बर

चाईल्ड हेल्पलाईन	1098 (टोल फ्री)
पुलिस हेल्पलाईन	100, 112 (टोल फ्री)
स्वास्थ्य हेल्पलाईन	108
पुलिस आपातकालीन हेल्पलाईन	112,0135-2716233
पुलिस मुख्यालय (कंट्रोल रूप)	0135-2712685 2712231, 2717300
अग्नि शमन	101,0135-2716242
साईबर हेल्पलाईन	0135-2655900

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

निकट-नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड,
पो.ओ. - चन्दनवाड़ी, देहरादून - 248007 (उत्तराखण्ड)
फोन : 9258127046 (व्हाट्सप)
Email: scpcr.uk@gmail.com
Website : www.scpcruk.org.in

scpcr.uk

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सरकार की सांविधिक निकाय है। उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत 10 मई 2011 को किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 एवं संविधान में निहित तथा अन्य अधिनियमों के तहत बालकों को प्रदत्त अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना व उनका प्रभावी क्रयान्वयन करवाना है।

आयोग के कार्य

1. बाल अधिकारों के सरंक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
2. प्रतिवर्ष या समय-समय पर जैसा कि आयोग उचित समझे, पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना।
3. बाल अधिकारों के हनन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना।
4. बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे-हिंसा, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना।

5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों में संरक्षण के साथ ही अवसाद ग्रस्त बच्चे, उपेक्षित एवं शोषित बच्चों, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहीन एवं कैदियों के बच्चों के लिए उचित चिकित्सा सम्बन्धी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा करना।
7. बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित करना।
8. बाल अधिकारों के संबंध में, समाज के सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना तथा बाल अधिकारों से संबंधित वर्तमान रक्षोपायों का प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।
9. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बाल संप्रेषण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से संबंधित अन्य स्थानों, जहां पर बच्चों को इलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना।
10. ऐसे मामलों में शिकायतों की जांच करना और नोटिस जारी करना, जहां-
    (क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन हो।
    (ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का क्रियान्वयन न होना।
    (ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिए बनायी गयी नीति, निर्देशिका अथवा निर्देश, जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुंचाना है, का भली भांति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना।
    (घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से संबंधित अन्य कार्य।
11. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां करना, बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

समस्यायें जिनके लिए शिकायत दर्ज की जा कसती है।

किसी भी प्रकार के बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आपको शिकायत है, तो कोई भी व्यक्ति जैसे-बच्चे, माता-पिता अभिभावक या अन्य कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करायें।

- बच्चों के घरेलू श्रम अथवा खतरनाक कार्यों में लगाये जाने से संबंधित मामला।
- बाल श्रम से मुक्त बच्चों का पुनर्वास।
- सड़क पर सामान बेचने वाले बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु।
- माता-पिता/अभिभावक/अन्य व्यक्तियों के साथ सड़क पर भिक्षाटन कार्य में शामिल बच्चों के पुर्नावास संबंधी मामले।
- बलपर्वूक भिक्षाटन कराने से संबंधित मामले।
- शारीरिक शोषण, हमला, परित्याग एवं उपेक्षित मामले।